भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 978

जिसका उत्तर शुक्रवार, 5 दिसंबर, 2025/14 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

978. डॉ. संबित पात्रा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान देश में यूरिया, डीएपी और एनपीकेएस उर्वरकों की मांग में लगातार वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यूरिया, डीएपी और एनपीकेएस उर्वरकों का आयात भी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी और एनपीकेएस की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। आवश्यकता का आकलन अनुमानित सकल फसली क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र, पिछले तीन मौसमों के खपत पैटर्न और मृदा स्वास्थ्य उर्वरता स्थिति आदि के अनुसार उर्वरकों की फसलवार अनुशंसित खुराक को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार राज्यों में उर्वरकों की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरक पर्याप्त मात्रा में आवंटित करता है।

पिछले 3 वर्षों यानी 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में राज्यों में इन उर्वरकों की आवश्यकता/मांग के बारे में जानकारी इस प्रकार है:

			आँकड़े एलएमटी में
उत्पाद	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
यूरिया	359.00	356.00	364.01
डीएपी	114.00	110.00	111.92
एनपीकेएस	121.00	126.00	151.29

(ख): पिछले 3 वर्षों के लिए यूरिया, डीएपी और एनपीके के आयात के बारे में जानकारी इस प्रकार है:

			आँकड़े एलएमटी में
वर्ष	**यूरिया**	**डीएपी**	**एनपीके**
		कंपनियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार	
2022-23	75.80	65.83	27.52
2023-24	70.42	55.67	22.17
2024-25	56.47	45.69	22.72

(ग): यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा दक्ष हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अत:, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान हुई 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 283.74 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जेवीसी नामत: तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित की गई है। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप, असम के मौजूदा परिसर के भीतर 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता के एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसके अलावा, सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति भी लागू की है। एनबीएस नीति के अंतर्गत, पीएंडके उर्वरकों को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत कवर किया जाता है और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

घरेलू उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) अनुरोधों के आधार पर, नई उत्पादन इकाइयों अथवा मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को एनबीएस सब्सिडी योजना के अंतर्गत मान्यता दी गई है/रिकॉर्ड पर लिया गया है।

(ii) एनबीएस नीति के तहत कवर किए गए पीएंडके उर्वरकों की संख्या 2021 में 22 ग्रेड से बढ़कर 28 ग्रेड हो गई है।

(iii) मिट्टी को फॉस्फेट या 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने के लिए एसएसपी जो एक स्वदेशी रूप से निर्मित उर्वरक है, के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खरीफ, 2022 से एसएसपी पर मालभाड़ा सब्सिडी को मंजूरी दी गई है।

****